कार्यवाही बैठक दिनांक 03–06–2019 समय 04:00 बजे, जो कि निजी स्कूलों की बसों में बच्चों की सुरक्षा के सन्दर्भ में श्री अरिंदम चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय, ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों व सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह बैठक माननीय न्यायालय के आदेशों तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टीपीटी–ए–(7)–1/2008 दिनांक 12–10–2018 जो कि निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को लेने व छोडने के लिए स्कूल बसों का उपयोग किया जाता है के लिए जारी दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में बुलाई गई है। अध्यक्ष महोदय ने वताया कि इस बैठक के बाद सभी उप मण्डल अधिकारियों (ना0) को यह निर्देश दिया जाएगा कि वह हर माह कम से कम 5 बार आकस्मिक निरीक्षण करें ।

अध्यक्ष महोदय ने वताया कि सरकार द्वारा जारी यह दिशा निर्देश जिन स्कूलों के पास नहीं हैं वह इसे परिवहन विभाग की बैव साईट से निकाल लें व दिशा निर्देशों की पुरी तरह से अनुपालना करें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला ऊना ने वताया कि उनके द्वारा समय–समय पर स्कूल बसों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिसमे से कुछ बसों में सीसीटीबी कैमरे व जीपीआर सिस्टम नहीं पाया गया है । जबकि बहुत से स्कूल बसों में स्पीड गवरनर लगा दिए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला ऊना ने वताया कि सड़क सुरक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला में 305 में से 279 स्कूल बसें पूर्ण पाई गई हैं। जिस के सन्दर्भ में 34 स्कूल प्रबन्धकों ने लिखित घोषना पत्र दिया है कि उनके स्कूल की बसें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलाई जाएँगी ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्कूल बसों में दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रिल लगी होनी चाहिए, बस में कण्डक्टर के अलावा एक हैल्पर होना चाहिए। बसें जो कि 2015 के बाद ली गई हैं उनमें Speed Governor लगे हुए हैं परन्तु 2015 से पहले खरीदी हुई बसों में Speed Governor लगवा लिएँ जाऍ । Speed Governor की व्यवहारिक जॉच करके देख लिया जाए। बसों में जीपीएस स्थापित होने चाहिए। जीपीएस किसी भी कम्पनी का हो परन्तु लगा होना चाहिए व वाहन के साथ लिंक होना चाहिए । कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यो ने बैठक में वताया कि निजी स्कूलों के प्रबन्धकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह अपनी समस्याऍ लिखित रूप से इस कार्यालय में दें उनकी समस्याओं को सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा ।

...2...

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी निजी स्कूलों के प्रबन्धक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में वर्णित दिशा निर्देशों का कढ़ाई से पालन करें तथा हर प्रकार से प्रशासन का सहयोग करें ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

अतिरिक्त उपायुक्त ऊना,
जिला ऊना, हि0प्र0।

पृ0 संख्याः 7761-7800/एम0ए0–एम0सी0–1 दिनांकः 15-06-2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक, ऊना।
2. उप निदेशक (उच्च) शिक्षा, ऊना ।
3. उप निदेशक (एलीमैंट्री) शिक्षा, ऊना ।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना ।
5. समस्त निजी स्कूल प्रधानाचार्य, जिला ऊना
   उप निदेशक (उच्च / एलीमैंट्री) के माध्यम से ।

अतिरिक्त उपायुक्त ऊना,
जिला ऊना, हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा जी 2 आर (निजी स्कूल)/2018....12203....दिनांक 20-6-19....ऊना
कार्यालय शिक्षा ऊप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

समस्त प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक निजि पाठशालाऐ जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को आबश्यक कर्याबाही हेतु प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक(उच्चतर)
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)